संoसंo 9/विविध–13–12/2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सकारण आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 4124/2014 श्री सुरेन्द्र कुमार बनाम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 09. 10.2013 को पारित माननीय उच्च न्यायालय पटना में न्यायादेश के अनुपालन में सकारण आदेश।

पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 781 दिनांक 25.4.13 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अभिहित अधिकारी (खाद्य निरीक्षक) पटना प्रमंडल पटना के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 19/2013 दिनांक 16.4.13 धारा–13(2)–सह–पठित धारा– 13(1)(ई) भ्र0 नि0 अधि0 1988 के तहत प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला दर्ज किया गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध 4,72,74,578/– (चार करोड़ बहतर लाख चौहतर हजार पॉच सौ अठहतर) रूपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 1095(9) दिनांक 23.08.13 के द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय पूर्णिया निर्धारित किया गया है, तथा उक्त आरोप के कारण विभागीय संकल्प सं0 352(9) दिनांक 23.5.14 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित है।

श्री सुरेन्द्र कुमार अभिहित पदाधिकारी (खाद्य निरीक्षक), खाद्य सुरक्षा प्राधिकार पटना प्रमंडल पटना (सम्प्रति निलंबित) निलंबन से मुक्त करने तथा निलंबन अवधि की वेतन आदि का भुगतान करने हेतु एक समादेश याचिका सं0 4124/2014 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया।

श्री कुमार द्वारा समादेश याचिका सं0 4124/2014 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 2.9.2014 को पारित न्यायादेश की अंतिम कंडिका निम्नवत है :–

``Hence, this writ application is disposed of with liberty to the petitioner to file a fresh representation before the Principal Secretary of the Department for revocation of his suspension order, which shall be considered and disposed of immediately in accordance with law and, if necessary, with such terms and conditions as the Principal Secretary may deem fit and proper."

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 02.09.2014 को पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अभिहित अधिकारी (खाद्य निरीक्षक) पटना प्रमंडल पटना के द्वारा दिनांक 10.9.14 को अधोहस्ताक्षरी को न्यायादेश की प्रति के साथ एक आवेदन समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार के अभ्यावेदन पर भली भांति विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि इनके विरूद्ध पद का दूरूपयोग एवं प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है तथा उक्त आरोप संबंधी विभागीय कार्यवाही भी संचालित है । जिसका फलाफल/अधिगम प्राप्त होना बाकी है । चूँकि प्रतिवेदित आरोप अत्यन्त गंभीर प्रकृति के है। ऐसी स्थिति में श्री सुरेन्द्र कुमार को विभागीय कार्यवाही का अधिगम प्राप्त होने तक निलंबन से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः श्री कुमार का अभ्यावेदन दिनांक 10.9.2014 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिहित पदाधिकारी (खाद्य निरीक्षक) खाद्य सुरक्षा प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित को उनके निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय पूर्णिया के पते पर इस आदेश की प्रति भेज दिया जाय।

ह०/-
प्रधान सचिव 20/12
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 1169 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक 23/12/2014

प्रतिलिपि :— उप सचिव (मुद्रण) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अवर सचिव वित्त विभाग (वै0 दा0 नि0 को0), विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— डा0 सुरेन्द्र कुमार, अभिहीत पदाधिकारी (खाद्य निरीक्षक) खाद्य सुरक्षा प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय उप—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/सिविल सर्जन, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना/खाद्य नियंत्रक/औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10,15 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
प्रधान सचिव
20/12

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\Health\order 14-06-12.docx